भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4682
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि

4682. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दैनिक कार्यों को सुचारू बनाने के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी पहलों के कार्यान्वयन के बावजूद लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में मामलों के बढ़ते बोझ के क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा देश की विभिन्न अन्य अदालतों में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ; और

(ङ) राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 24.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है

क्र सं.	न्यायालय का नाम	लंबित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	81,329
2.	राजस्थान उच्च न्यायालय	671113

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मामलों के लंबित रहने का कोई एक स्पष्ट कारण नहीं है। यह एक बहुआयामी स्थिति है। तथापि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, लोगों के बीच पहुँच में आसानी और जागरूकता, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के साथ, नए मामलों के दाखिल होने की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ रही है, जबकि न्यायाधीशों और न्यायालयों की संख्या वही बनी हुई है।इसलिए, मामलों के लंबित रहने का मुख्य कारण देश में न्यायाधीश/जनसंख्या अनुपात का अपर्याप्त होना और माननीय न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या है। 2020 के आसपास शुरू हुई महामारी ने भी लंबित मामलों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जबकि मामलों का निपटान न्यायपालिका के दायरे में आता है, सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऐसे वातावरण का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो

मामलों के त्वरित समाधान को सुकर बनाए। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पारितंत्र की व्यवस्था करने के लिए निम्नानुसार अनेक पहलें की हैं

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी। मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कम्प्यूटरीकरण सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय और मामलों के त्वरित निपटान के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुनः अभियांत्रिकी और मानव संसाधन विकास पर जोर देना शामिल है।

ii. न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय कक्षों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा रही है, जिससे वादियों सहित विभिन्न हितधारकों का जीवन आसान हो सके और न्याय प्रदान करने में सहायता मिले। 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) 28.02.2025 तक 11886.29 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय कक्षों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 28.02.2025 तक 22,062 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 28.02.2025 तक 19,775 हो गई है।

iii. इसके अतिरिक्त ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के चरण I और II के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। 2023 तक 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। 99.5% न्यायालय परिसरों को वैन संयोजकता प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सक्षम की गई है। 31.01.2025 तक जिला न्यायालयों में 1572 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 39 ई-सेवा केंद्र वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए कार्यात्मक बनाए गए हैं। 21 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 28 आभासी न्यायालयों स्थापित की गई हैं। 31.01.2025 तक इन न्यायालयों ने 6.66 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 714.99 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है। मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय पर ई-न्यायालयों चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और चरण-II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, ई-न्यायालयों चरण-III का उद्देश्य डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए न्याय की सुगमता की व्यवस्था की शुरुआत करना है। इसका उद्देश्य न्याय वितरण को सभी हितधारकों के लिए उत्तरोत्तर अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए कृत्रिम आसूचना (एआई), ब्लॉक चेन आदि जैसी नवीनतम तकनीक को सम्मिलित करना है।

iv. सरकार भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नियमित रूप से भरती रही है। 01.05.2014 से 20.03.2025 तक उच्चतम न्यायालय में 67 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों में 1030 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 791 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़कर अब तक 1122 हो गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पदसंख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

निम्न तारीख के अनुसार	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
28.02.2025	25,786	20,511

स्रोत: न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल

तथापि जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

v. अप्रैल 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है। जिला न्यायालयों के अधीन भी बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vi. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में जघन्य अपराधों वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि के मामलों से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। 31.01.2025 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों के विरूद्ध अपराध आदि के मामलों को संभालने के लिए 860 त्वरित निपटान न्यारयालय कार्यात्मक हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से जुड़े आपराधिक मामलों को फास्ट ट्रैक करने के लिए, नौ (9) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यात्मक हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने बलात्संग और पाक्सो अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दी है। 31.01.2025 तक, देश भर के 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 404 अनन्य पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित 745 एफटीएससी कार्यात्मक हैं, जिन्होंने 3,06,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

vii. न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने और कामकाज को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न विधियों में संशोधन किया है, जैसे कि परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है। तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया। पीआईएमएस तंत्र की दक्षता को और बढ़ाने के लिये सरकार ने मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के माध्यम से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में और संशोधन किया है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015, 2019 और 2021 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है। ।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, मामला प्रबंधन सुनवाई का उपबंध है जो किसी मामले के कुशल, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण न्यायिक प्रबंधन के लिए उपबंध करता है जिससे विवाद का समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान प्राप्त किया जा सके। यह तथ्य और विधि के विवादित मुद्दों की शीघ्र पहचान, मामले के जीवन के लिए प्रक्रियात्मक कैलेंडर की स्थापना और विवाद के समाधान की संभावनाओं की खोज में सहायता करता है।

वाणिज्यिक न्यायालयों के लिए शुरू की गई एक अन्य नवीन विशेषता रंग बैंडिंग की प्रणाली है, जो किसी भी वाणिज्यिक मामले में दी जाने वाली स्थगन की संख्या को तीन तक सीमित कर देती है तथा न्यायाधीशों को लंबित मामलों के चरण के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध करने के बारे में सचेत करती है।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक साथ पूर्व-निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाती हैं।

पिछले चार वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक न्यायालयों में निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	**मुकदमे-पूर्व मामले**	**लंबित मामले**	**कुल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119
कुल	**19,62,73,548**	**4,83,08,835**	**24,45,82,383**

x. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायतों में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा

वर्ग	**रजिस्ट्रीकृत मामले**	**% वार ब्रेक अप**	**सलाह सक्षम**	**% वार ब्रेक अप**
लिंग वार				
महिला	43,50,146	39.53%	42,92,045	39.49%
पुरुष	66,55,274	60.47%	65,77,616	60.51%
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	25,94,779	23.58%	25,54,696	23.50%
ओबीसी	34,67,629	31.51%	34,21,343	31.48%
अनुसूचित जाति	34,55,009	31.39%	34,19,433	31.46%
अनुसूचित जनजाति	14,88,003	13.52%	14,74,189	13.56%
कुल	**1,10,05,420**		**1,08,69,661**	

*28.02.2025 तक के आंकड़े।

xi. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं। एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहाँ प्रो बोनो कार्य के लिए अपना समय और सेवाएँ देने वाले अधिवक्ता न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफ़ॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। राज्य स्तर पर 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल शुरू किया गया है। नवोदित वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 109 लॉ स्कूलों में प्रो बोनो क्लब शुरू किए गए हैं।

****